होता है कि विवादित भूमि रास्ते की भूमि है न कि सायल की । सायल द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न होना अंकित किया है,जबकि प्रार्थना पत्र के साथ कोई नजरी नक्शा संलग्न नही है जिससे सायल के कथनों की पुष्टि हो सके साथ ही गैरसायलान संख्या 2 ता 5 के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों कि पुष्टि होती है कि विवादित भूमि साविक खसरा नंम्बर 1558 मिन का रकबा है न कि खसरा नंम्बर 1313/2 का तथा हाल खसरा नंम्बर 1173 गैरमुमकिन रास्ते की भूमि रिकार्ड में दर्ज है जिससे गैरसायल नंम्बर 1 के कथनों की पुष्टि होती है कि सायल ने सरकारी रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा यह प्रार्थना पत्र केवल बेदखली की कार्यवाही से बचने के लिए पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन तथ्यों पर पेश होने के कारण खारिज किया जाता है

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर